RAJNISH SHRIVASTAVA

Digitally signed by RAJNISH SHRIVASTAVA
Date: 2022.10.13 17:54:40 +0530

न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ०ग०)

(पीठासीन अधिकारी–रजनीश श्रीवास्तव)

जमानत याचिका क्रमांक–732 /2022

संस्थित दिनांक–13/10/2022

आरक्षी केन्द्र– थाना सारंगढ

जिला–सारंगढ बिलाईगढ, (छ.ग.)

अपराध क्र.–450/2022

सरिता निषाद, पिता स्व. विजय निषाद

उम्र 24 वर्ष, निवासी–रेंजरपारा,

थाना सारंगढ,

जिला–सारंगढ, बिलाईगढ (छ.ग.) ....**आवेदक/अभियुक्त**

विरूद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारा–थाना सारंगढ

जिला–सारंगढ, बिलाईगढ, (छ.ग.) .....**अनावेदक/अभियोगी**

जमानत याचिका अंतर्गत धारा–439 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के सन्दर्भ में पारित आदेश दिनांक 13/10/2022 की सत्यप्रतिलिपि

13/10/2022 आवेदिका/अभियुक्ता सरिता निषाद अभिरक्षा में है ।

आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से सुश्री दीप्ति बैरागी अधिवक्ता।

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री दीपक शर्मा।

जमानत प्रकरण पंजीबद्ध किया जावे ।

आरक्षी केन्द्र थाना सारंगढ, जिला– सारंगढ, बिलाईगढ से डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता में कथित तथ्यों के अनुसार आवेदिका थाना सारंगढ, जिला– सारंगढ, बिलाईगढ (छ.ग.) के अपराध क्रमांक– 450/2022, अंतर्गत धारा 34 (2) एवं 59 (क) आबकारी अधिनियम के अपराध के आरोप में अभिरक्षाधीन होना बताते हुए उसे जमानत पर मुक्त किए जाने की याचना की गई है।

आवेदन के समर्थन में आवेदिका के भाई प्रकाश निषाद द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें व्यक्त किया गया है कि उक्त प्रकरण में यह **प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र** है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी सक्षम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष कोई जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त किया गया है।

आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन में जमानत हेतु यह आधार लिये गए हैं कि आवेदिका निर्दोष है, उसे शंका के आधार पर झूठा अभियोजित किया गया है। आवेदिका सारंगढ–बिलाईगढ जिले की स्थायी निवासी है, वह फरार नहीं होगी, उसका आवेदन

धारा 437 दं.प्र.सं. विचारण न्यायालय के द्वारा निरस्त किया जा चुका है, आवेदिका न्यायालय के हर आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने को तैयार है, उक्त आधार पर आवेदिका की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने की याचना की गई है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया है।

जमानत आवेदन पर उभयपक्षों के तर्क श्रवण किए गए एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अनुसार घटना दिनाँक 04.10.2022 को थाना प्रभारी सिटी कोतवाली, सारंगढ बिलाईगढ को गश्त के दौरान जरिये मुखबीर से सूचना मिली कि अभियुक्ता सरिता निषाद एवं शामली आदित्य, निवासी सब्जी मार्केट मछली पसरा सारंगढ, अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री करने के लिए रखी है। तब मौके पर अभियुक्ता को पकड़कर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी में एक गुलाबी रंग के प्लास्टिक बकेट में 30 लीटर क्षमता वाले में 25 लीटर व एक हरा रंग के 25 लीटर क्षमता वाली बकेट में भरा 25 लीटर **कुल 50 लीटर कच्ची महुआ शराब** रखना पाया गया, उक्त शराब को अभियुक्ता के आधिपत्य से जप्त किया गया। अभियुक्ता को द्वारा धारा 34(2) एवं 59 (क) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध कारित करना पाये जाने पर उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया, मामला विवेचनाधीन है।

आवेदिका/अभियुक्ता के उक्त कृत्य से उनका शराब विक्रय

व्यवसाय में संलिप्त होना प्रकट होता है । केस डायरी के अनुसार **कुल 50 लीटर कच्ची महुआ शराब** आवेदिका से बरामद कर जप्त किया गया है जो कि राज्य शासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन में दी गई **निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में है** तथा जो बिना अनुज्ञप्ति के कब्जे में रखा जाना वर्जित है तथा आवेदिका/ अभियुक्ता का पूर्व में अपराधिक रिकार्ड रहा है, आवेदिका के विरूद्ध थाना सारंगढ में अपराध क्रमांक 447/21 धारा 34(1) अपराध पंजीबद्ध होना पाया गया है ।

मौजूदा मामले में लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया है । अतः भारी मात्रा में शराब की जप्ती व आबकारी के पुराने अपराध को देखते हुये आवेदिका की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत **आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–439 दं.प्र.सं.** को **निरस्त** किया जाता है ।

आदेश की प्रति केस डायरी के साथ संलग्न कर, संबंधित थाना को वापस लौटायी जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख, नियत अवधि में अभिलेखागार में जमा किया जाए।

सही/-
(रजनीश श्रीवास्तव)
सत्र न्यायाधीश, रायगढ
रायगढ़